

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नुर जहाँ पति-खुरशीद आलम ग्राम-गोपालपुर पो०-मुस्ताबाद थाना-गोरैया कोठी जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	मो० रेयाजउद्दीन पिता-अलामन मियां ग्राम-पो०-घोड़ाघाट थाना-डोभी जिला-गया	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	पुष्पा देवी पति-रंजन कुमार ग्राम-भैरोपुर पो०-कटेया थाना-सिंहेश्वर जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	भागमणी देवी पति-चन्द्रदीप सिंह ग्राम-सनेयां पो०-ब्रहमवार थाना-पीरो जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	लक्ष्मीकान्त राय पिता-काशी नाथ राय ग्राम-बघवा पो०-गोपालपुर थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

6	राम सवारी देवी पति-स्व० गजानन्द प्रसाद ग्राम-श्यामपुर बाजार पो०+थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
7	जीनत आरा पति-स्व. गुलाम मुस्तफा ग्राम-बाकरगंज मोहरमपुर पो०-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
8	गुड़िया कुमारी देवी पति-संदीप कुमार गिरि ग्राम-परसौना पो०-पंजीअरवा, थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,53,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,53,000 /-( सात लाख तीरपन हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 848761 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~848761~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक


1566(14)

पटना, दिनांक

ह०/-  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

20-9-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21-9-17

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मयंक पिता-सुनील रजक ग्राम-रिक्साडीह पो०-खिरीबांध थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर सीएमसीनं०-179630 जी०	किडनी रोग	₹ 30,000 /- (तीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	ब्रज किशोर तिवारी पिता-श्रीराम तिवारी ग्राम-बरुना पोस्ट-शिवपुर थाना-बिक्रमगंज जिला-रोहतास सी०एमसी०नं०-916166 जी०	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,55,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,55,000 /- (एक लाख पचपन हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ...848758... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम- भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०... 848758...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1556(14)

पटना, दिनांक 20.9.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ श्री अजीत शर्मा, मा0स0वि0स0 भागलपुर /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.9.17

सं० सं० 14/एम 11-2/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अरविन्द कुमार पिता-शिव बालक प्रसाद ग्राम-पो०-पभेरा थाना-धनरुआ जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 18733	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	चुमचुम कुमारी पिता-दिनानाथ शर्मा ग्राम-प्रखंड कालोनी, बैराम सराय, पोस्ट+थाना-घोषी जिला-जहानाबाद केसफाइलनं०-सीपी० / 21376	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	पप्पु कुमार पिता-राम विश्वास पासवान ग्राम-गुलमहीयाचक पो०-सबलपुर थाना-दीदारगंज जिला-पटना केसफाइलनं०-सीपी० / 08041	कैंसर रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
4	नाजरा खातुन अंसारी पति-आफताब आलम ग्राम+पो०-सकला बाजार थाना-काराकाट जिला-रोहतास केसफाइलनं०-सीजे० / 00316	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

5	उमेश सिंह पिता-स्व. लखन सिंह ग्राम-सबौरा पोस्ट-महना थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय केसफाइलनं0-सीपी/05305	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
6	सुन्दर लाल हजारी पिता-बिरेन दास ग्राम-जवारीपुर थाना-तीलकमांझी पो0-जिला-भागलपुर केस फाइलनं0-सीपी0/14658	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,25,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 848759 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 848759 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 26.9.17

ज्ञापांक 1557(4)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्रीमती रेखा देवी मा0 सोवि0स0./संबंधित मरीज/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14 / एम 11-3/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	देवयंती देवी पति-अम्बिका प्रसाद शर्मा ग्राम-पो०+थाना-वैनी जिला-समस्तीपुर सीभीनं०-1797 / 14 / 17	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
2	संध्या देवी पति-कृष्णा कुमार सिंह ग्राम-तरउचक पो०-कमलाकांत कररिया थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज सीभीनं०-22164 / 17	हृदय रोग	₹ 46,000/- (छियालीस हजार) स्वीकृत।
3	सुरज कुमार पिता-श्रवण कुमार साह ग्राम+पोस्ट-सिंहनान थाना-रजौन जिला-बांका सीभीन-2017 / 014 / 0023301	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,66,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,66,000/- (तीन लाख छियासठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~848757~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

५।



- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 848757 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1554(14)

पटना, दिनांक 20.09.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / श्री महेश्वर हजारी, मा0 मंत्री भवन निर्माण/ श्री रामसेवक सिंह, मा0 स0वि0स0/ श्री मनीष कुमार, मा0 स0वि0स0 बांका/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11  
19/9/17

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.11.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रुदो देवी पति-भुल्लो महतो ग्राम+पोस्ट-सादपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
2	श्याम नारायण सिंह पिता-राम दहिन सिंह ग्राम-उदनी, पो०-मितनचक थाना-गोपालपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र कुमार राय पिता-स्व. सूचित राय ग्राम-विष्णुपुरा पो०-गुलटेनगंज थाना-मुफसिल जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	मास्टर तरुण कुमार पिता-संतोष कुमार ग्राम-ओल्ड जक्कनपुर, डी०भी०सी० चौक पो०-जी०पी०ओ० थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

५५

5	प्रवीण कुमार शुक्ल पिता-कृष्णा कुमार शुक्ला ग्राम-कच्ची तालाब गर्दनीबाग पोस्ट-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
6	पुष्पा शरण पति-स्व. शंभु शरण ग्राम-हनुमान नगर राम जानकी पथ, पो0-लोहिया नगर थाना-पत्रकार नगर जिला-पटना	हड्डी रोग (सर्जरी)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 4,60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,60,000/- ( चार लाख साठ हजार ) का क्रास चेक सं0.....  
.....848760.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

पटना, दिनांक 20.9.17

ज्ञापांक 1564(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.8.2017